

- कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एवी/ विधालय व्यवस्था/2017/ 26

दिनांक 6/3/2017

कार्यालय आदेश

राज्य में सचालित राजनीय प्रारम्भिक एवं उच्च प्रारम्भिक शिक्षालयों के सुखाल संचालन व दैनिक कार्यों के नियादन हेतु शिक्षालयों के कार्यप्रभार के सम्बन्ध में इस कार्यालय के समराठ्यक आदेश दिनांक 20.01.2017 में सञ्चोधन किये जानार निम्नानुसार सांशोधित दिशा-निदेश जारी किये जाते हैं।

- 1 किसी भी उप्रापि/प्रापि में वरिष्ठ अध्यापक के घट पर कार्मिक कार्यरत होने की रिक्षति में संस्था प्रधान का दायित्व/प्रभार उसके पास रहेगा।
- 2 वरिष्ठ अध्यापक का पद रिक्त होने अथवा रक्षीकृत नहीं होने पर वरिष्ठतम अध्यापक/प्रबोधक पद पर कार्यरत कार्मिक द्वारा संस्था प्रधान के दायित्व का निवृहन किया जावेगा।
- 3 वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/प्रबोधक का पद रिक्त होने की रिक्षति में शारीरिक शिक्षक द्वारा संस्था प्रधान के दायित्व का निवृहन किया जावेगा।
- 4 उपर्युक्तानुसार विन्दु संख्या 1 से 3 तक के अलावा आन्य रिक्षति होने पर वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी/पैसाटीचर/ट्रेनी अध्यापक के पद पर कार्यरत कार्मिक द्वारा संस्था प्रधान के दायित्व का निवृहन किया जावेगा। कार्मिक की वरिष्ठता का निर्धारण रामपूर्ण रूपा अवधि के आधार पर होगा।

आज्ञा से
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एवी/ विधालय व्यवस्था/2017/
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक 6/3/2017

- 1 उपनिदेशक, प्राशि राजस्थान, रामरत।
- 2 जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशि राजस्थान रामरत।
- 3 कार्यालय प्रति।


अतिरिक्त निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर